कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-282/2023 दिनांक-04.09.2023

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- तरवां

हत्या की घटना का सफल अनवारण, हत्या में वांछित 03 अभियुक्त आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना संक्षेप में–

वादिनी रंजना देवी पत्नी मिन्टू राजभर सा0 करमपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर की मां सुनीता देवी उर्फ सुमित्रा पत्नी स्व0 पनधारी सा0 करनेहुवा थाना चन्दवक जनपद जौनपुर हाल पता सा0 बनगांव थाना तरवां जनपद आजमगढ़ जो करीब 20 वर्षो से रहती थी जो ग्राम बनगांव में रहने वाले राम प्रवेश सिंह पुत्र स्व0 अलगू सिंह के साथ परिचित थी। उसी गांव के रामबचन पुत्र स्व0 बासदेव सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़ के जो अपने ट्यूबेल की रखवाली हेतु मृतका सुनीता उर्फ सुमित्रा पत्नी स्व0 पनधारी राजभर व अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र रामप्रवेश सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़ को दिये थे जो करते थे। दिनांक 01/02-09.23 को रात्रि में वादिनी की मां सुनीता देवी उर्फ सुमित्रा खेत में पानी भरने जाने एवं पीछे से रामप्रवेश सिंह पता उपरोक्त द्वारा वादिनी की मां को बहला फुसलाकर सड़क के किनारे ले जाकर मार पीट कर वादिनी की मां को हत्या कर दी गयी, के सम्बन्ध में दिनांक 02.09.23 को मु0अ0स0 245/23 धारा 302 भादवि बनाम राम प्रवेश सिंह पुत्र स्व0 अलगू सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ बाद दौरान विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1.शिवम सिंह व सुन्दरम सिंह पुत्रगण रामप्रवेश सिंह निवासी ग्राम बनगाँव थाना तरवां जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में एवं जुर्म धारा-201 भादवि का साक्ष्य पाया गया।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक 04.09.23 को थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. राम प्रवेश सिंह पुत्र स्व0 अलगू सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़, 2. शिवम सिंह पुत्र राम प्रवेश सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़, 3. सुन्दरम सिंह पुत्र राम प्रवेश सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़ को उमरी बनगाँव मोड़ से समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशान देही से घटना में प्रयुक्त एक पत्थर टुकड़ा, मृतका का एक मोबाइल की पैड समसंग, एक जोड़ी हवाई चप्पल तथा घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन मोटर साईकिल UP 50 AA 8605 03 सर्ट/ टी-सर्ट मय मो0सा0 UP 50 AA 8605 बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब मेरा मृतिका से अवैध सम्बन्ध था। मैं दिनांक-1/2.09.2023 की रात्रि में रामबचन सिंह के ट्यूबेल पर अपने लड़के शिवम सिंह व सुन्दरम सिंह के साथ मिलकर जान मारने की नियत से पत्थर के टुकड़े से सर मे मारकर हत्या कर दिये क्योंकि मृतिका के कारण अभियुक्त शिवम एवं सुन्दरम की मां ने वर्ष 2011 में आत्महत्या कर ली थी। इसी रंजीश वश अभियुक्तों द्वारा उपरोक्त घटना कारित किये। मृतिका का चप्पल व मोबाइल जमीन में गाड़ दिये थे। मृतिका को मैं तथा मेरे लड़के शिवम व सुन्दरम ने शव को कुछ दूरी पर मो0सा0 पहुंचने वाले स्थान तक उठा कर ले गये इसके बाद मेरे लड़के शिवम व सुन्दरम ने मेरी मो0सा0 नं0 UP 50 AA 8605 से शव को ले जाकर सड़क पर फेक दिये थे। हत्या की घटना को आसानी से सड़क दुर्घटना का रुप दिया जा सके।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 245/23 धारा 302 भादवि व धारा 201 भादवि की बढ़ोत्तरी थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राम प्रवेश सिंह पुत्र स्व0 अलगू सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़,
2. शिवम सिंह पुत्र राम प्रवेश सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़,
3. सुन्दरम सिंह पुत्र राम प्रवेश सिंह सा0 बनगांव थाना तरवां आजमगढ़

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रामप्रवेश सिंह-

1-मु0अ0सं0 368/2013 धारा 323, 504,506 भादवि व 3(1) X अनुसुचित जाति / जनजाति (2) मु0अ0सं0 245/23 धारा 302 भादवि

बरामदगी-

अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पत्थर टुकड़ा

मृतका का एक अदद मोबाइल की पैड समसंग

एक जोड़ी हवाई चप्पल कीचड़ लगा हुआ

घटना में प्रयुक्त एक अदद वाहन मोटर साईकिल UP 50 AA 8605 तथा 03 सर्ट/ टी-सर्ट मो0सा0 UP 50 AA 8605

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द मय हमराहीयान का0 अविनाश सिंह यादव, का0 अमित सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

चोरी की घटना का सफल अनावरण; अन्तर्जनपदीय 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अवैध तमन्चा, 2 कारतूस 315 बोर, 05 मोबाइल फोन तथा चोरी का 74000 रूपया बरामद

पूर्व की घटना– दिनांक 26.08.2023 को वादी मुकदमा लाल सिंह S/O स्व जमन सिंह म0नं0 50 गली नं0 2 जय भारत इन्कलैब साहिबाबाद जिला गाजियाबाद द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 26.08.2023 की सुबह मऊ जाने के लिए सरकारी बस पर आकर बैठे व शौच के लिये गये तथा वापस आकर देखा तो बस से बैग गायब हो गया, बैग में कुछ पैसा, कपड़े, दवाई थी।। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 481/23 धारा 379 भादवि दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 04.09.2023 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्राकश में आये अभियुक्तो 1.इन्द्रेश पुत्र मुखलाल निवासी गोहनापुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 45 वर्ष, 2. रामप्यारे निषाद पुत्र निन्हक निषाद निवासी रामनगर महुअर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 60 वर्ष , 3. जुल्मी निषाद पुत्र बहाऊ निषाद निवासी असाधरपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष को ग्राम बहद कोल बाजबहादुर से समय करिब 06.15 बजे गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अवैध तमन्चा 315 बोर व कारतूस , 5 अदद मोबाइल फोन तथा चोरी का 74000 रूपया बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0सं0 497/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, 2. मु0अ0सं0 498/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ पंजीकृत कर अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. इन्द्रेश पुत्र मुखलाल निवासी गोहनापुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 45 वर्ष,
2. रामप्यारे निषाद पुत्र निन्हक निषाद निवासी रामनगर महुअर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र 60 वर्ष ,
3. जुल्मी निषाद पुत्र बहाऊ निषाद निवासी असाधरपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

02 अवैध तमन्चा 315 बोर व कारतूस, 05 मोबाइल फोन तथा चोरी का 74000 रूपया 01 मोटर साइकिल

पूछताछ का विवरण–- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि साहब हमलोग तीनों लोग मिलकर आसपास के जनपदों के बस अण्डे पर आने जाने वाले लोगों का मौका देखकर बस से बैग चुरा लेते हैं तथा घर में घुसकर हमलोग मौका देखकर चोरी करते हैं और सम्पत्ति बनाये हैं। दिनांक 26.8.23 को रोडवेज आजमगढ़ से बस में बैठे एक व्यक्ति का चुराये थे जिसमें 5.20 लाख रूपये थे। जिसे हमलोगो ने आपस में बाट लिया है। आज हमलोग घटना करने जा रहे थे कि आपलोगों द्वारा पकड़े गयें।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 497/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

2-मु0अ0सं0 498/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- अभि रामप्यारे निषाद

1.मु0अ0सं0 463/2006 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 61/2016 धारा 3/5/8 गोवध नि.अध. व 11 पशु क्रुरता अधि. थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

3.मु0अ0सं0 481/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

अभि. इन्द्रेश का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 817/2017 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती

2.मु0असं0 1377/2017 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती

3.मु0अ0सं0 1563/2017 धारा 401 भादवि थाना कोतवाली जनपद बस्ती

4.मु0अ0सं0 1565/2017 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद बस्ती

5.मु0अ0सं0 2405/2017 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद बस्ती

6.मु0अ0सं0 168/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या

7.मु0अ0सं0 207/2022 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या

8.मु0अ0सं0 210/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली रुदौली जनपद अयोध्या

9.मु0अ0सं0 42/2016 धारा 379/411 भादवि थाना तारून जनपद अयोध्या

10.मु0अ0सं0 193/2016 धारा 379/411/420/471 भादवि थाना अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

11.मु0अ0सं0 497/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

12.मु0अ0सं0 481/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

अभि.जुल्मी निषाद आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 481/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 498/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

01. उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह चौकी प्रभारी रोडवेज थाना कोतवाली नगर जनपद आजमगढ़ ।

थाना तहबरपुर

चोरी की घटना का अनावरण,चोरी गये मोटर साईकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 03.09.2023 को संतोष कुमार यादव पुत्र श्री हरिलाल यादव ग्राम सिकन्दरपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर लगभग 18.00 बजे अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी की मोटर साइकिल वाहन संख्या UP50CL2906 स्पेण्डर प्लस को ओहनी नारा के पास सर्विस लेने के किनारे से चुरा ले गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति नाम व पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री उमाकान्त शुक्ल की जा रही है। दिनांक 04.09.2023 को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त रणवीर मौर्य पुत्र श्री रविन्द मौर्य ग्राम रसुलपुर बरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त को वाहन सख्या UP50CL2906 स्पेण्डर प्लस व एक अदद मोबाईल ओप्पो माडल CPH2387 के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भा0द0वि की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 04.09.2023 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बनहरा वार्डर पर एक व्यक्ति एक मोटर साइकिल तेज रफ्तार से बनहरा चौराहा के तरफ से तमसा नदी पुल की तरफ आ रहा था की अचानक पुलिस बल को देख कर मुड कर भागना चाहा की मोटरसाइकिल फिसल गयी जिसे मौके पर पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम रणवीर मौर्य S/O श्री रविन्द मौर्य R/O रसुलपुर बरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ बताया तथा उसके कब्जे से एक मोबाईल ओप्पो तथा मोटर साइकिल UP 50 CL 2906 स्प्लेन्डर प्लस के कागजात तलब किया गया तो नही दिखा सका मोटर साइकिल के नम्बर UP 50 CL 2906 से सम्बन्ध मे जानकारी की गयी तो मोटर साईकिल उपरोक्त थाना हाजा पर मु0अ0सं0 147/23 धारा 379 IPC से सम्बन्धित पायी गयी पूरा इत्मिनान हो जाने पर मोटर साइकिल को नियमानुसार कब्जा पुलिस एवं पकडे गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय करीब 12.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित वाहन संख्या UP 50 CL 2906 के बरामदगी के आधार पर धारा 411 IPC की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त- 1. रणवीर मौर्य पुत्र श्री रविन्द मौर्य ग्राम रसुलपुर बरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 174/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना तहबरपुर आजमगढ़ ।

बरामदगी- 01 अदद मोबाईल ओप्पो, 01 मोटर साइकिल नं0 UP 50 CL 2906

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 उमाकान्त शुक्ल मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना- फूलपुर

गैर इरादतन हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

01. पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 01-09-2023 को वादी मुकदमा गुडिया पत्नी मुकेश सा0 ससना थाना फूलपुर जिला आजमगढ के द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र पर दिया गया पति मुकेश को दिनांक 27-08-2023 को रात्रि 10-00 पार्टी के लिये ग्राम ससना ले गये पार्टी के दौरान मकान के निर्माण में लेकर कार्यसरकार कर रहे थे जिन्हे विपक्षीगण द्वारा शराब पीकर पति को मारना पीटना जिससे मौके पर बेहोश हो जाना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/23 धारा -304 भादवि बनाम 1.रामचन्दर पुत्र कुलबुल व अशोक कुमार पुत्र अज्ञात साकिनान रसुलपुर जोखु थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 रज्जन द्विवेदी के द्वारा कि जा रही है

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 04.09.2023 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त रामचन्दर पुत्र कुलबुल व अशोक कुमार पुत्र झुलई साकिनान रसुलपुर जोखु थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दिनाक 04.9.23 को रेलवे क्रासिंग पार अम्बारी से माहुल जाने वाले रोड से समय 09 .05 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-रामचन्दर पुत्र कुलबुल साकिन रसुलपुर जोखु थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2- अशोक कुमार पुत्र झुलई साकिन रसुलपुर जोखु थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 375/23 धारा 304 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़ ।

थाना निजामाबाद

निजामाबाद पुलिस व एटीएस वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा सिम धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 04.09.2023 को नि0 आनन्द कुमार तिवारी एटीएस ईकाई वाराणसी द्वारा बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 388/23 धारा 420/120बी भादवि , धारा 4/20/21/25 भा0तार अधि0 , धारा 3/6 भा0 बेतार तार यांत्रिकी अधि0 1933, व धारा 66सी, 66 डी आईटी एक्ट बनाम 1. कलीम अहमद पुत्र अली अहमद निवासी हुसामपुर बड़ागांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ 2. फारुख करीम पुत्र अब्दुल करीम मकान नं0 196 बाज बहादुर , थाना कोतवाली आजमगढ़ 3. शमीम पुत्र एकलाख अहमद निवासी च्युहटी थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ 4. आसिफ उर्फ मुन्ना कुरैशी पुत्र अज्ञात निवासी मिर्जापुर जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें से अभियुक्त कलीम अहमद पुत्र अली अहमद निवासी हुसामपुर बड़ागांव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 04.09.2023 को गिरफ्तार किया गया ह।

गिरफ्तारी का विवरण- सूचनानुसार अवैध टेलीफोन एक्सचेन्ज चलाये जाने तथा जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वीओआईपी / इन्टरनेट काल को लोकल काल में परिवर्तित कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाये जाने उपरोक्त सूचना की भौतिक व इलेक्ट्रानिक निगरानी से विकसित किये जाने के दौरान संदिग्ध, शमीम अहमद, फारुक करीम, कलीम अहमद , आसिफ उर्फ मुन्ना कुरैशी का नाम एटीएस वाराणसी टीम द्वारा संदिग्ध में पाया गया । संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा भारत में प्रतिबन्धित एप को आईपी चेन्जर एप के माध्यम से चेन्ज कर अवैध पैसा कमाया जा रहा है । नि0 आनन्द कुमार तिवारी एटीएस वाराणसी मय टीम व मुझ थानाध्यक्ष मय हमराह टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कलीम अहमद पुत्र अली अहमद निवासी हुसामपुर बड़ागांव थाना निजामाबाद आजमगढ़ को उसके घर से समय 08.00 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया । दौराने गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- 1 मु0अ0सं0 388/23 धारा 420/120बी भादवि , धारा 4/20/21/25 भा0तार अधि0 , धारा 3/6 भा0 बेतार तार यांत्रिकी अधि0 1933, व धारा 66सी, 66 डी आईटी एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास- उपरोक्त

बरामदगी- 02 अदद कीपैड मोबाईल फोन, 04 अदद एंड्रायड मोबाईल फोन, 12 अदद मोबाइल सिम कार्ड

गिरफ्तार अभियुक्त - कलीम अहमद पुत्र अली अहमद निवासी हुसामपुर बड़ागांव थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. निरीक्षक आनन्द कुमार तिवारी एटीएस ईकाई वाराणसी
2. उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव मय हमराह थानाध्यक्ष निजामाबाद आजमगढ़
3. हे0का0 इन्द्र प्रताप सिंह हे0का0 सर्वेश कुमार सिंह हे0का0 रहमत अली हे0का0 राजेश कुमार यादव एटीएस ईकाई वाराणसी

थाना सरायमीर

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाये जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय वीओआईपी (VOIP) कॉल को परिवर्तित करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना-विगत कुछ दिनों से एटीएस को जनपद आजमगढ़ व मिर्जापुर में कई स्थानों पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाये जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय वीओआईपी (VOIP) कॉल को लोकल वाइस कॉल मे परिवर्तित कर सरकार को राजस्व की हानि पहुँचायी जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी । उपरोक्त सूचना को इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक निगरानी से विकसित किये जाने के दौरान ज्ञात हुआ कि संदिग्ध शमीम, फारूक करीम, कलीम अहमद, आसिफ उर्फ मुन्ना कुरैशी के द्वारा भारत में प्रतिबंधित एप्स को आईपी चेंजर एप्स के माध्यम से उन देशों की आई0 पी0 लगा कर डाउनलोड किया जाता है जिन देशों में वो एप्स प्रतिबंधित नही हैं तथा मुफ्त हैं । विभिन्न आन लाइन कम्पनियों के लिए VOIP कॉल करने में पीएसटीएन (Public Switched Telephone Network) की भूमिका अदा कर रहे हैं और यह कार्य पैसे के लालच में इनके द्वारा किया जा रहा है, इनका यह कार्य भविष्य में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है।इनके द्वारा प्रयोग किये जा रहे समस्त प्राप्त उपकरणो को प्रथम दृष्टया देखने पर यह ज्ञात हो रहा है कि यहां पर अवैध टेलीफोन एक्सचेन्ज संचालित किया जा रहा है जो VOIP कॉल को लोकल कॉल में विभिन्न एप्स के माध्यम से परिवर्तित करते हैं, जिससे काल करने वाले व्यक्ति की पहचान छिपी रहे तथा उसको ट्रेस करना सम्भव न हो और ये लोग भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए राजस्व की चोरी भी करते हैं व टेलीग्राफ एक्ट व वायरलेस एक्ट का उल्लंघन करते हुये बगैर लाइसेन्स के अवैध रुप से टेलीफोन एक्सचेन्ज का संचालन करते हैं । जिससे देश की अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुँचती हैं तथा देश की अखण्डता, एकता व सम्प्रभुता को भी संकट उत्पन होता है । चूकिं इस अवैध रुप से कि गयी कालिंग का गेटवे से कोई डाटा प्राप्त नही होता है अतः इस सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता है कि कॉलो के माध्यम से आंतकी गतिविधियों से सम्बन्धित वार्ता ना की गयी हो । अभियुक्त के इस कृत्य से देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा पैदा होने की संभावना है ।

गिरफ्तारी का विवरण-

उच्चाधिकारीगण द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत निरीक्षक भारत भूषण तिवारी मय हमराह तथा एस0ओ0 विवेक कुमार पाण्डेय द्वारा नन्दवा रोड से शमीम पुत्र एकलाख नि0 चियूटहीं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को 01 अदद सिम बक्स, 01 अदद राउटर 2

अदद एंड्रायड मोबाइल फोन, 30 अदद ऐण्टिना के साथ हिरासत में लिया गया। बरामद मोबाइल को चेक किया गया तो सिम बाक्स आपरेट किये जाने सम्बन्धित कई एप्स मिले जिसके बारे में पूछा गया तो बताया कि सर हम और कलीम, फारूख करीम नि0 हुसामपुर बड़ागांव, थाना निजामाबाद और आशिफ नि0 मिर्जापुर के साथ मिल कर विभिन्न एप्स/वेब साइट जैसे टेक्स्टनाऊ, टेलीमिडिया, औरैन्ज कैरियर, SKYPE, REBTEL, SLICKCALL, TOUCH VPN के माध्यम से वर्चुअल सीम बाक्स चलाने का काम करता हूं। जो एप्स भारत में प्रतिबन्धित हैं या भारत में चलाने की अनुमति नहीं है उसके लिए आईपी चेंजर एप TOUCH VPN का प्रयोग करके किसी दूसरे देश के आईपी का प्रयोग करके इंस्टॉल किया जाता है, इस काम को करने में आशिफ सहयोग करता है। पहले मैं नार्मल सिम बाक्स चलाने का काम किया करता था कुछ समय पहले जब मैं मिर्जापुर गया था तो मेरी मुलकात आशिफ से हुई आशिफ के कहने पर मैंने पुराना सिम बाक्स बंद करके मोबाइल के माध्यस से सिम बाक्स चलाने का काम करने लगा पुराना सिम बाक्स मेरे ससुराल जहां पर मै रहता हूं वही पर रखा है अगर आप कहे तो मै घर चल कर आप को दे सकता हूं गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को साथ ले कर ग्राम चाकिया इब्राहीमपुर पहुंचे जहां पर शमीम उपरोक्त आगे-आगे चल कर अपने घर के छत पर बने टीन शेड में रखी पीले रंग बोरी ले आया ,बोरी को खोलकर देखा गया तो उसके अन्दर से एक अदद सिम बाक्स 32 पोर्ट मय केबल और एक अदद राउटर मय सहवर्ती उपकरण तथा छः अदद सिम एयरटेल है जिसका नम्बर-8991000907275942371U, 8991000910101612706U, 8991000910101617162U, 8991000907275942363U, 8991000907483713580U, 8991000907630948261U है सिम बाक्स को संचालित करने के लिये अलग से एक्टिवेटेड सिम मगांकर रखा था। शमीम द्वारा सिम बाक्स मे प्रयोग किये जा रहे समस्त सीम एयरटेल के हैं। इनके द्वारा प्रयोग किये जा रहे समस्त प्राप्त उपकरणो को प्रथम दृष्टया देखने पर यह ज्ञात हो रहा है कि यहां पर अवैध टेलीफोन एक्सचेन्ज संचालित किया जा रहा है जो VOIP कॉल को लोकल कॉल में विभिन्न एप्स के माध्यम से परिवर्तित करते हैं, जिससे काल करने वाले व्यक्ति की पहचान छिपी रहे तथा उसको ट्रेस करना सम्भव न हो और ये लोग भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी करते हुए राजस्व की चोरी भी करते हैं व टेलीग्राफ एक्ट व वायरलेस एक्ट का उल्लंघन करते हुये बगैर लाइसेन्स के अवैध रुप से टेलीफोन एक्सचेन्ज का संचालन करते हैं। जिससे देश की अर्थ व्यवस्था को क्षति पहुँचती हैं तथा देश की अखण्डता, एकता व सम्प्रभुता को भी संकट उत्पन होता है। चूकिं इस अवैध रुप से कि गयी कालिंग का गेटवे से कोई डाटा प्राप्त नही होता है अतः इस सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता है कि कॉलो के माध्यम से आंतकी गतिविधियों से सम्बन्धित वार्ता ना की गयी हो। अभियुक्त के इस कृत्य से देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा पैदा होने की संभावना है। अतः अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से टेलीफोन एक्सचेन्ज संचालित करने का यह कृत्य धारा- 420, 120बी, 467,468 भादवि, धारा-3/6 इण्डियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, धारा-4/20/21/25 इण्डियन टेलीग्राफी एक्ट-1885 व 66सी/66डी आईटी एक्ट-के तहत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त द्वारा किए जा रहे उक्त कार्य के लिये पूछताछ में लाइसेन्स या कोई प्रमाण पत्र तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त शमीम को कारण गिरफ्तारी बताते हुये दिनांक 04.09.2023 को समय करीब 11.30 बजे कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी अभियुक्त- शमीम पुत्र एकलाख नि0 चियूटहीं थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:- 01 अदद सिम बक्स, 01 अदद राउटर 2 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन, 30 अदद ऐण्टिना।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 255/2023 धारा 420/120बी/467/468 भादवि व 3/6 इण्डियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट-1933, धारा 4/20/21/25 इण्डियन टेलीग्राफी एक्ट-1885 व 66सी,66डी आई0टी0 एक्ट थाना सरायमीर जनद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रथम टीम- 1.निरीक्षक भारत भूषण तिवारी, मय टीम एटीएस इकाई वाराणसी

द्वितीय टीम- 1.एस0ओ0 विवेक कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- देवगांव

हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

➡ दिनांक- 22.02.1998 को वादी मुकदमा रामवक्ष पुत्र जगन्नाथ राजभर थाना कोतवाली देवगांव आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी नीबूलाल पुत्र रमाशंकर निवासी अहिरौली खिजीरपुर, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा ग्राम प्रधानी चुनाव की रंजीश को लेकर वादी मुकदमा के भाई किशोर को गोली मारकर हत्या कर दी गयी।

➡नामजद अभियुक्त के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 40/1998 धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 09 गवाह परीक्षित हुए है।

➡आज दिनांक- 04.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नीबूलाल पुत्र रमाशंकर निवासी अहिरौली खिजीरपुर, थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।